

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1683 / 2008 / भरतपुर.
2. अपील संख्या – 1684 / 2008 / भरतपुर.
3. अपील संख्या – 1685 / 2008 / भरतपुर.

मैसर्स अल्फा इंजिनियरिंग, गायत्री मंदिर के पास, भरतपुर.अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विनय कुमार गोयल, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 25 / 02 / 2016

निर्णय

1. ये तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश संख्या प.3(31)कर/उपा/प्रशा/भरत/07/2380 दिनांक 09.06.2008, आदेश संख्या प.3(31)कर/उपा/प्रशा/भरत/07/2388 दिनांक 09.06.2008 व आदेश संख्या प.3(31)कर/उपा/प्रशा/भरत/07/2391 दिनांक 09.06.2008 के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-12(15)/वित्त/कर/2008-82 दिनांक 25.02.2008 के तहत खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत पंजीकृत इकाई को छूट स्वीकृत कराने हेतु अधिकारिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2008 को प्रस्तुत किया गया, जिसको छूट का पात्र नहीं होना निर्णित करते हुये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया। उपरोक्त तीनों आदेशों से असंतुष्ट होने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक पृथक रखी जा रही है,

3. प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा पंजीकृत इकाई है, जिसका पंजीकरण क्रमांक SOJ/REGP/BTP/250/2006-07 दिनांक 18.04.2006 है एवं यूनिट को 18.10.2005 से 17.10.2008 तक के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। अपीलार्थी व्यवहारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-12 (15)/



लगातार.....2

वित्त/कर/2008-82 दिनांक 25.02.2008 के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त अधिसूचना के अधीन अपीलार्थी व्यवहारी को इस आधार पर कि उसका प्रमाण पत्र 01.02.2007 से प्रभावी है। अधिसूचना के अधीन वे इकाईयां छूट का लाभ लेने के लिये पात्र हैं जो दिनांक 01.04.2006 से पहले खादी एवं ग्रामोद्योग में पंजीकृत हों। अपीलार्थी व्यवहारी को प्रशासनिक अधिकारी ने छूट का पात्र नहीं होना निर्णित किया।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन है कि प्रशासनिक अधिकारी ने विधिक भूल कारित की है तथा उनके द्वारा पारित आदेश अविधिक है। अपीलार्थी व्यवहारी खादी ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत है। प्रमाण पत्र संख्या SOJ/REGP/BTP/250/2006-07 दिनांक 18.04.2006 है। यह प्रमाण पत्र दिनांक 08.10.2005 से 07.10.2008 तक के लिये विधिमान्य है। इसी क्रम में आगे जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-12(28) वित्त/कर/2007/142 दिनांक 09.03.2007 में अधिसूचना को दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2008 तक के लिये प्रभाव में होने का अंकन किया गया है। आगे समयावधि के संबंध में इसे दिनांक 31.03.2009 तक के प्रभाव में होने का प्रतिस्थापित किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के छूट का दावा गलत तरीके से अस्वीकार किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को अपास्त करने व अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में विवादित बिन्दु के निर्णय के लिये इस हेतु संदर्भित अधिसूचनाओं का अध्ययन आवश्यक है, अधिसूचनायें निम्न प्रकार है :-

(A) F.12 (28) FD/TAX/2007/142 Dated 09.03.2007

S.O. 378- "In exercise of the powers conferred by sub-section (3) 8 of the Rajasthan value added tax 2003 (Rajasthan Act no. 4 of 2003), the state government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax of the sales of the products excluding soap, bricks, Kota-stone, marble and sand stone, manufactured by an institution co-operative society and individuals registered under the said act and also with the **Khadi and Village industries commission**



constituted under the khadi and village industries commission act,1956 or the Rajasthan khadi and village industries board constituted under the Rajasthan khadi and village industries board act, 1955 and in whose favour certificate had been issued before April 1, 2006 by the authorities competent to do so on the following conditions :-

(1) that such exemption shall be available only on their annual gross turnover (excluding turnover of the goods mentioned above) of rupees thirty lacs for individuals also and rupees on crores for others. Where the annual turnover exceeds these limits, tax shall be levied on the turnover in excess of such limits.

(2) that no input tax credit shall be claimed by such dealers in respect of purchase of raw material used for manufacture of goods exempted above;

(3) that tax collected by the dealer up to the publication of this notification shall have to deposited and if deposited shall not be refunded.

[Provided that the units of soap, bricks kota stone marble and stone availing benefits of tax exemption up to 31-03-2006 under notification **No.F.4 (11)FD/Gr. IV/95-94 dated 27-03-1995**, shall remain eligible to avail benefits of exemption from 01-04-2006 subject to the above conditions] (Inserted will effect from 03-11-2007)

[This notification shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 2006]

(B) F.12 (142) FD/TAX/2006-54/ jaipur Dated 03-11-2007

Amendment in notification related to Khadi Units

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan value added tax Act 2003 (Rajasthan Act no. 4 of 2003) the state government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department notification **No. F.12(28)FD/Tax dated 09-03-2007** namely:-

AMENDMENTS

In the said notification after the existing conditions No.3 following shall be interested namely "provided that the units of soap , bricks Kota-stone availing benefits of tax exemption up to 31-03-2006 under notification **No. F.4(11)FD/Gr.-IV/95-54 dated 27.03.1995** shall remain eligible benefits of exemption from 01-04-2006,subject to the above condition."

(C) F.12 (15) FD/TAX/2008-82/ Dated 25-02-2008

S.O.-434 In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan value added tax Act,2003 the state government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department notification **NO. F12(28)FD/Tax/2007-142 dated 09-03-2007** namely:-



AMENDMENTS

In the said notification for the existing expression 'up to 31-03-2008', the expression 'up to 31-03-2009' shall be substituted

(D) F.12 (42) FD/TAX/2006-96/ Dated 27-02-2009

In exercise of the powers conferred by the sub section (3) of section 8 of the Rajasthan Value added tax Act, 2003 (Rajasthan Act no. 4 of 2003) the state government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the department's notification **No.F.12 (28) FD / Tax / 2007-142 dated 09-03-2007** (amended from time to time), namely:-

AMENDMENT

In the said notification for the existing expression "This notification shall be deemed to have come into force with effect from April 1,2006 and shall remain in force up to 31-03-2009." The expression "This notification shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 2006" shall be substituted.

(E) F.4(38) FD/Tax-Div/2000-44 Dated:- 22-05-2003

"In exercise of the powers conferred by section 15, RST Act, 1994, and in supersession of this department notification No.F.4(11)/FD/Group-IV/95-54 dated 27-03-1995 (as amended from time to time) the state government hereby exempts from sales tax with immediate effect, the sale of the products excluding soap, bricks, Kota-stone, marble and sand stone manufactured by an institution, co-operative societies and individuals registered under the said Act and also with the K.V.I.C constituted under Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 or the Rajasthan Khadi and Village industries Board Act,1955, and in whose favour certificate has been issued by the authorities competent to do so, on the condition that such exemptions shall be available only on their annual gross turn over (excluding turnover of goods mentioned above) of Rs. 30 lacs (for individuals [and Rs, two crores for others.] Where the annual turnover exceeds these limits, tax shall be levied only on the turnover in excess of such limits. The units already availing the benefits under the above superseded notification, shall continue to avail the benefits under this notification.

8. उपरोक्त संदर्भित अधिसूचनाओं का अध्ययन किया गया। यह तथ्य अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 18.10.2005 से 17.10.2008 के लिये दिनांक 18.04.2006 को जारी किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की अपील संख्या 1682/2008/भरतपुर के मामले में इसी समान




लगातार.....5

बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के द्वारा दिनांक 22.08.2013 को पारित निर्णय में इकाई को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत पंजीयन के आधार पर कर मुक्ति के लिये पात्र माना है। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करना विधिक भूल निर्णित किया है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की है।

9. उपरोक्त समग्र विवेचना, विधिक स्थिति व माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत, जो उपरोक्त पत्र संख्या 7 में उल्लेखित है, के आधार पर निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी इकाई राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत पंजीयन के आधार पर कर मुक्ति के लिये पात्र है। प्रशासनिक अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की तीनों अपीलों स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


25/08/2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य